

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3083  
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

केंद्रीय भूजल बोर्ड में वैज्ञानिक

3083. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जयपुर स्थित केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत वैज्ञानिकों की संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और विद्यमान रिक्तियों के क्या कारण हैं;
- (ख) बाड़मेर और राजस्थान में भूजल संसाधनों की वर्तमान स्थिति, जिसमें जल स्तर में कमी, संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करना शामिल है, क्या है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं;
- (ग) जयपुर में सीजीडब्ल्यूबी के वैज्ञानिकों के समक्ष उपस्थित बुनियादी ढांचे की कमियां जिनमें क्षेत्रीय कार्य के लिए वाहनों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता शामिल है, क्या हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और
- (घ) क्या सरकार ने राजस्थान में भूजल संदूषण पर कोई हालिया अध्ययन या आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में वर्तमान में, विभिन्न संकायों (अर्थात भूजल विज्ञान/भूभौतिकी/रसायन/जल मौसम विज्ञान) से संबंधित 26 वैज्ञानिक अधिकारी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 से, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा कार्यालय-वार संख्या आवंटित करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में तैनात किया जाता है।

(ख): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान राज्य सहित देश के डॉयनेमिक भूजल संसाधनों का आकलन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2025 के नवीनतम आकलन के अनुसार, राजस्थान राज्य के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 12.87 बिलियन घन मीटर है और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण का आकलन 17.10 बिलियन घन मीटर के रूप में किया गया है। इसी प्रकार, बाड़मेर जिले के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 0.385 बिलियन घन मीटर और निष्कर्षण 0.469 बिलियन घन मीटर है।

भूजल निष्कर्षण के आधार पर इकाइयों के वर्गीकरण के संदर्भ में, राजस्थान में कुल 302 आकलन इकाइयों (ब्लॉक) में से, 213 (70.53%) इकाइयों को 'अति-दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो

यह दर्शाता है कि भूजल का निष्कर्षण वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल पुनर्भरण से अधिक है, और 23 इकाइयों (7.62%) को 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, बाड़मेर जिले में 12 इकाइयाँ 'अति-दोहित' और 2 इकाइयाँ 'गंभीर' श्रेणी में हैं।

जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा राजस्थान सहित देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

- i. देश के जल/भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुख्यतः फ्लैगशिप कार्यक्रम 'जल शक्ति अभियान' के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। जल शक्ति अभियान समयबद्ध एवं मिशन मोड कार्यक्रम है, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के सभी सम्मिलित प्रयासों और निधियों का अभिसरण कर जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के कार्य किए जाते हैं ताकि वास्तविक रूप से इसका सफल कार्यान्वयन किया जा सके।

वर्तमान में, देश में जल शक्ति अभियान 2025 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अति-दोहित और गंभीर श्रेणी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जल शक्ति अभियान के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में देश भर में लगभग 1.21 करोड़ जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्यों को पूरा किया गया है। इसमें राजस्थान में 6.54 लाख और बाड़मेर में 1.65 लाख संरचनाएं शामिल हैं। उक्त कार्यों से भूजल संसाधनों की स्थायित्वता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- ii. जल शक्ति अभियान की गति में और अधिक तेजी लाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'जल संचयन जन भागीदारी : भारत में जल स्थिरता के लिए एक समुदाय-संचालित मार्ग' की शुरुआत की गई है। इसका विजन देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाना है। सामुदायिक स्वामित्व और दायित्व को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी और स्थानीय समाधान विकसित करना है।
- iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना के माध्यम से सामुदायिक नेतृत्व वाले भागीदारी भूजल प्रबंधन की प्रभावकारिता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। इस योजना को राजस्थान सहित 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में लागू किया गया था। भूजल संसाधनों को बढ़ाने और कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से उन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, इस योजना के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं जैसे चेक डैम, तालाब, शाफ्ट आदि का निर्माण तथा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने का कार्य किया गया।
- iv. मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार किया गया है,

जिसमें राजस्थान में 3,138 और बाड़मेर में 97 सरोवर शामिल हैं। इससे जल भंडारण क्षमता बढ़ी है और भू-जल पुनर्भरण में सुधार हुआ है।

- v. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने पूरे देश के लिए 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020' भी तैयार किया है। यह 185 बिलियन घन मीटर जल का संचयन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इस मास्टर प्लान में बाड़मेर सहित राजस्थान के लिए लगभग 7.70 लाख वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है, जिनमें कंटूर बंड , चेक डैम, इंजेक्शन कुएं और उप-सतही डाइक आदि शामिल हैं।
- vi. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जलभृत की विन्यास के रेखांकन और इनके विशिष्टीकरण के उद्देश्य से, भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र जिसमें राजस्थान का 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है, की मैपिंग की गई और इनके कार्यान्वयन हेतु इसे संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ जिला-वार प्रबंधन योजनाओं को साझा किया गया है।
- vii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए, सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में सतही जल आधारित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

**(ग):** केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जयपुर, राजस्थान में सीजीडब्ल्यूबी के वैज्ञानिकों के समक्ष किसी प्रकार की अवसंरचनात्मक समस्याएं नहीं हैं और फील्ड अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की उपलब्धता भी है। तथापि, मंत्रालय द्वारा जयपुर, राजस्थान सहित सीजीडब्ल्यूबी के सभी कार्यालयों के लिए अवसंरचनात्मक और संचालन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं।

**(घ):** "केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) के अनुसार भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के तहत, राजस्थान सहित पूरे देश के लिए भूजल गुणवत्ता के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। भूजल गुणवत्ता के आंकड़े के समग्र विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि बताते हैं कि राजस्थान में भूजल सामान्यतः पीने योग्य है, हालांकि कुछ छिट-पुट पॉकेटों में संदूषकों की स्थानीय रूप से उपस्थिति पाई गई है।

राजस्थान में फ्लोराइड, आयरन, लवणता, नाइट्रेट आदि जैसे संदूषकों की स्थानीय उपस्थिति से संबंधित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

“केंद्रीय भूजल बोर्ड में वैज्ञानिक” के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3083 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में भूजल गुणवत्ता नमूनों के विश्लेषण का सारांश

मानक	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अनुमन्य सीमा से अधिक नमूनों का %
विद्युत चालकता (ईसी)/लवणता	643	47.12
फ्लोराइड (F <sup>-</sup> )	643	41.06
नाइट्रेट (NO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	643	50.54
लौह (Fe)	100	7
सीसा (Pb)	98	2.04

\*\*\*\*\*